24/5/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर आये। बार-2 आवाज लगाने पर भी ना तो वकील वादी हाजिर आये ना ही वादी स्वयं हाजिर आये। वाद-पत्र को आदेश संख्या 8 नियम 2 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फाईल अलग रखकर नम्बर से कम होने पर वकील उपस्थित हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner